

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 513]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 सितम्बर 2022-भाद्र 28, शक 1944

### मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2022

### शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-65NN-02-2022-पांच-2000.- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक-65NN-02-2022-पांच-1811, दिनांक 29 जुलाई 2022 द्वारा नगर परिषद् गौतमपुरा, जिला इन्दौर के आम निर्वाचन वर्ष 2022 में निर्वाचित पार्षद पद के अभ्यर्थियों की सूची मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 432, दिनांक 1 अगस्त 2022 में प्रकाशित की गई है. अधिसूचना में वार्ड क्रमांक 04 में अंकित पार्षद पद के अभ्यर्थी का नाम “सुनीता राजेन्द्र प्रजापत” के स्थान पर “सुनीता राजेन्द्र प्रजापत” एवं वार्ड क्रमांक 08 में अंकित पार्षद पद के अभ्यर्थी का नाम “जीमल खान” के स्थान पर “जमील खान” पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-  
(अरुण परमार)  
उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2022

### शुद्धि-पत्र

क्र. एफ-65NN-02-2022-पांच-2001.- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक-65NN-02-2022-पांच-1809, दिनांक 29 जुलाई 2022 द्वारा नगर परिषद् बेटमा, जिला इन्दौर के आम निर्वाचन वर्ष 2022 में निर्वाचित पार्षद पद के अभ्यर्थियों की सूची मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 432, दिनांक 1 अगस्त 2022 में प्रकाशित की गई है. अधिसूचना में वार्ड क्रमांक 08 में दल से सम्बद्धता में अंकित “भारतीय जनता पार्टी” के स्थान पर “भारतीय जनता पार्टी” एवं वार्ड क्रमांक 11 में अंकित पार्षद पद के अभ्यर्थी का नाम “स्वाति राहुल पेरुलिया” के स्थान पर “स्वाती राहुल पेरुलिया” पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-  
(अरुण परमार)  
उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2022

**शुद्धि-पत्र**

क्र. एफ-65NN-02-2022-पांच-2002.- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक-65NN-02-2022-पांच-1810, दिनांक 29 जुलाई 2022 द्वारा नगर परिषद् देपालपुर, जिला इन्दौर के आम निर्वाचन वर्ष 2022 में निर्वाचित पार्षद पद के अभ्यर्थियों की सूची मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 432, दिनांक 1 अगस्त 2022 में प्रकाशित की गई है. अधिसूचना में वार्ड क्रमांक 10 में अंकित पार्षद पद के अभ्यर्थी का नाम "सीता सतीश मारू" के स्थान पर "सीमा सतीश मारू" पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-  
(अरूण परमार)  
उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2022

**शुद्धि-पत्र**

क्र. एफ-65NN-02-2022-पांच-2003.- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक-65NN-02-2022-पांच-1816, दिनांक 29 जुलाई 2022 द्वारा नगर परिषद् सांवेर, जिला इन्दौर के आम निर्वाचन वर्ष 2022 में निर्वाचित पार्षद पद के अभ्यर्थियों की सूची मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 432, दिनांक 1 अगस्त 2022 में प्रकाशित की गई है. अधिसूचना में वार्ड क्रमांक 5 में अंकित पार्षद पद के अभ्यर्थी का नाम "जहिद ताजमोहम्मद खान" के स्थान पर "जाहिद ताजमोहम्मद खान " पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-  
(अरूण परमार)  
उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2022

**शुद्धि-पत्र**

क्र. एफ-65NN-02-2022-पांच-2004.- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक-65NN-02-2022-पांच-1812, दिनांक 29 जुलाई 2022 द्वारा नगर परिषद् हातोद, जिला इन्दौर के आम निर्वाचन वर्ष 2022 में निर्वाचित पार्षद पद के अभ्यर्थियों की सूची मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 432, दिनांक 1 अगस्त 2022 में प्रकाशित की गई है. अधिसूचना में वार्ड क्रमांक 11 में अंकित पार्षद पद के अभ्यर्थी का नाम "मेनिका हिमांशु राठौर" के स्थान पर "मोनिका हिमांशु राठौर" एवं वार्ड क्रमांक 13 में अंकित पार्षद पद के अभ्यर्थी का नाम "लेकेश पिता शिवनारायण" के स्थान पर "लोकेश पिता शिवनारायण" पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-  
(अरूण परमार)  
उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2022

**शुद्धि-पत्र**

क्र. एफ-65NN-02-2022-पांच-2005.- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक-65NN-02-2022-पांच-1814, दिनांक 29 जुलाई 2022 द्वारा नगर परिषद् मानपुर, जिला-इन्दौर के आम निर्वाचन वर्ष 2022 में निर्वाचित पार्षद पद के अभ्यर्थियों की सूची मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 432, दिनांक 1 अगस्त 2022 में प्रकाशित की गई है. अधिसूचना में वार्ड क्रमांक 6 में अंकित पार्षद पद के अभ्यर्थी का नाम "गजेन्द्र गुजारिया" के स्थान पर "गजेन्द्र गुजरिया" पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-  
(अरुण परमार)  
उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2022

**शुद्धि-पत्र**

क्र. एफ-65NN-02-2022-पांच-2006.- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक-65NN-02-2022-पांच-1815, दिनांक 29 जुलाई 2022 द्वारा नगर परिषद् राऊ, जिला-इन्दौर के आम निर्वाचन वर्ष 2022 में निर्वाचित पार्षद पद के अभ्यर्थियों की सूची मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 432, दिनांक 1 अगस्त 2022 में प्रकाशित की गई है. अधिसूचना में वार्ड क्रमांक 14 एवं 15 में दल से सम्बद्धता में अंकित " भारतीय जनता पार्टी" के स्थान पर "भारतीय जनता पार्टी" एवं वार्ड क्रमांक-15 में अंकित पार्षद पद के अभ्यर्थी का नाम "गीता सचिन गोरे (ऐडवोकेट)" के स्थान पर "मीता सचिन गोरे (ऐडवोकेट)" तथा अधिसूचना में " नगर परिषद राऊ" के स्थान पर "नगर परिषद राऊ" पढ़ा जावे.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,

हस्ता./-  
(अरुण परमार)  
उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.